UPUN010035142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1473/2026

अजीत कुमार उर्फ रंजीत पुत्र रमेशचन्द्र निवासी मकान नं0 2/234 मोहल्ला इन्द्रा नगर पोनी रोड शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव। ————अभियुक्त।

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव। ——————विपक्षी।

10.06.2026

अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ रंजीत की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अपराध संख्या–174/2026, अर्न्तगत धारा–318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS थाना–कोतवाली सदर, जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

वादी संजय कुमार की तहरीर के अनुसार उसे जानकारी प्राप्त हुई है कि उसके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने नगर मजिस्ट्रेट उन्नाव के न्यायालय में गुफरान पुत्र इकबाल की अग्रिम जमानत ली है। जबकि वह किसी गुफरान पुत्र इकबाल को नहीं जानता है, न ही नगर मजिस्ट्रेट के यहॉ उसने गुफरान की कोई अग्रिम जमानत ली है। किसी अज्ञात फर्जी व्यक्ति के द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर उसके नाम से गुफरान पुत्र इकबाल की अग्रिम जमानत ली गयी है। साथ ही उसे यह भी जानकारी हुई है कि उसके चचेरे भाई राजकुमार के नाम से भी उक्त प्रकरण में किसी फर्जी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुफरान की अग्रिम जमानत ली गयी है जिसे वे लोग जानते–पहचानते नहीं हैं। अतः उक्त दोनो फर्जी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया कि उसका कथित घटना से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उसको प्रकरण में झूंठा फंसाया जा रहा है। वह अग्रिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं करेगा। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व न ही दिया गया है, न ही विचाराधीन है। उसका जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है। अतः उसको अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए उसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि वादी संजय कुमार द्वारा नगर मजिस्ट्रेट के यहॉ उसके नाम से गुफरान पुत्र इकबाल की अग्रिम जमानत लेने का उल्लेख करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। केस डायरी के पर्चा नं0 1 पर अंकित बयान में वादी संजय कुमार ने बताया है कि गुफरान पुत्र इकबाल की अग्रिम जमानत सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से उसके व उसके भतीजे राजकुमार पुत्र देवी प्रसाद का नाम वल्दियत, पता, फर्जी आधार कार्ड व फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुचलका दायर कर तैयार करवाकर किया गया जबकि वह किसी गुफरान को नहीं जानता है, न ही उसने कोई अग्रिम

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.10 16:26:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

जमानत नगर मजिस्ट्रेट के यहॉ ली है। किसी अज्ञात फर्जी व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर उसके नाम से गुफरान की अग्रिम जमानत ली गयी है। यही कथन इसी पर्चे पर अंकित पीड़ित राजकुमार द्वारा भी किया गया है। केस डायरी के पर्चा नं0 2 के क्रम सं0 8 पर विवेचक द्वारा अंकित विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि 'अब तक के साक्ष्य संकलन से तथ्य प्रमाणित है कि गुफरान की अग्रिम जमानत में फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेजों को छलपूर्ण आशय के साथ असली के रूप में प्रयोग किया गया है। केस डायरी के पर्चा नं0 4 के क्रम सं0 5 पर अंकित बयान स्टेनो सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार 'दिनांक 23.03.2026 को गुफरान पुत्र मो0 इकबाल की फर्जी अग्रिम जमानत स्वंय अभियुक्त की संलिप्तता एवं रजामन्दी के साथ उसके पैरोकार/मुंशी/वकील सोहेल अहमद पुत्र वकील अहमद द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर छलपूर्ण आशय के साथ एवं आपराधिक षडयन्त्र करते हुए आरोपी गुफरान की फर्जी तरीके से अग्रिम जमानत करवायी गयी।' केस डायरी के पर्चा नं0 5 पर अंकित अभियुक्त गुफरान ने अपने बयान में बताया है कि 'वकील साहब के साथ एक और मुंशी जिनका नाम अजीत उर्फ रंजीत भी था जिसने जमानत में उसकी मदद की थी।' इसी पर्चे पर अभियुक्त सोहेल अहमद ने अंकित अपने बयान में बताया है कि 'गुफरान की जमानत के लिए उसने गुफरान के पिता इकबाल से 22,000 रूपये लिये थे जिसमें से 6000 रूपये रंजीत उर्फ अजीत मुंशी को दिया था। गुफरान की जमानत में दो जामिनदार जिनको वह पहचानता है, उनको भी एक–एक हजार रूपये दिये थे। रंजीत उन्हे सही से जानता है। उसके पास जो फर्जी मोहर और स्टैम्प रखे हुए थे, वो उसने बरामद करवा दिया, बाकी और भी बहुत सारी फर्जी मोहर और कागजात रंजीत उर्फ अजीते मुंशी के पास है, जरूरत पड़ने पर वो ले आता है।' अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। घटना का समय व तारीख प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। वादी संजय कुमार के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उसके नाम से गुफरान की जमानत लेने का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया गया है जिसमें वादी के भतीजे राजकुमार के नाम से दूसरी जमानत लेना कहा गया है। यह जमानत नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में किसी अन्य का फर्जी दस्तावेज बनाकर वादी व उसके चचेरे भाई राजकुमार के नाम से गुफरान की जमानत ली गयी है। यह कथन केस डायरी के पर्चा नं0 1 में भी विवेचक ने अंकित किया है जबकि वादी द्वारा अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट 318(4), 319(2) BNS में अंकित की गयी है। विवेचक ने केस डायरी के पर्चा नं0 2 में अपनी विवेचना के आधार पर साक्ष्य संकलन में गुफरान की जमानत में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज छलपूर्ण आशय के साथ असली के रूप में प्रयोग किये जाने के आधार पर धारा 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी है। यह सभी धारायें सात वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, फिर भी विवेचक द्वारा धारा 35(3) BNSS के प्रावधान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके द्वारा किसी भी अपराध का सृजन नहीं किया गया है, न ही उसका उपरोक्त मामले से कोई सम्बन्ध है। वह स्वर्गीय महेन्द्र सिंह एडवोकेट का लिपिक रहा है। उसका नाम विवेचक ने केस डायरी के पर्चा नं0 5 के क्रम सं0 7 में अभियुक्त सुहैल अहमद के बयान में बढ़ाया है जबकि उसका सुहैल अहमद से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सह–अभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार

की जा चुकी है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष पर कोई टीका–टिप्पणी किये हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का संतोषजनक आधार है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र कुछ शर्तो के अधीन, स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ रंजीत की ओर से अपराध संख्या–174/2026, अर्न्तगत धारा–318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS थाना–कोतवाली सदर, जिला उन्नाव में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1473/2026, अभियुक्त की ओर से मु0–40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान राशि के दो जमानतनामे सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, प्रस्तुत करने की स्थिति में, निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा तथा साक्षीगण पर बेजा दबाव नहीं डालेगा।
2. दौरान विवेचना साक्षीगण को प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नही होगा।
3. अभियुक्त बिना अनुमति के प्रदेश/देश नहीं छोड़ेगा।

दिनांक–10.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP06552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अजय